



आदेश क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
	<p style="text-align: center;">न्यायालय उपायुक्त, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;">संदिग्ध जमाबंदी वाद संख्या-03/2016-17 सरकार बनाम फगुवा स्वॉसी</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अपर समाहर्ता, खूँटी के पत्रांक-1095 /रा0 दिनांक-15.10.2016 द्वारा खूँटी जिला अन्तर्गत मौजा-गोड़ा टोली, थाना-मुरहू, थाना नं0-46, खाता नं0 58, प्लॉट संख्या-1660 रकबा-1.70 एकड़ किस्म गैर मजरूआ खास, भूमि का जमाबन्दी रैयत फगुवा स्वॉसी पिता-लाड़ो स्वॉसी के नाम से कायम जमाबन्दी को रद्द करने हेतु अभिलेख प्राप्त है।</p> <p>अंचल अधिकारी, मुरहू भूमि सुधार उप-समाहर्ता, खूँटी अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी एवं अपर समाहर्ता द्वारा प्रतिवेदित है कि उपरोक्त वर्णित भूमि का जमाबन्दी कायम होने का ठोस साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इन लोगो के द्वारा प्रतिवेदित है कि पंजी ii में जमाबन्दी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है इनलोगों के द्वारा उक्त भूमि के जमाबन्दी को अवैध मानते हुए, रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।</p> <p>अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा विपक्षी को सूचना निर्गत किया गया। विपक्षी/उत्तराधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, मुरहू भूमि-सुधार उप-समाहर्ता, खूँटी, अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी, अपर समाहर्ता, खूँटी एवं अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में अबतक किसी भी प्रकार का संबंधित राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा विपक्षी/उत्तराधिकारी द्वारा नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् न्यायालय में अनुपस्थित रहे है।</p> <p>अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि विपक्षी द्वारा जमाबन्दी से संबंधित ठोस प्रमाण अब तक न्यायालय में उपलब्ध कराने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में उनका दावा प्रश्नगत भूमि पर उचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः मौजा-गोड़ा टोली, थाना-मुरहू, थाना नं0-46, खाता नं0 58, प्लॉट संख्या-1660 रकबा-1.70 एकड़ भूमि की बंदोबस्ती एवं संधारित जमाबंदी को अवैध मानते हुए बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द किया जाता है।</p> <p>अभिलेख पर पारित आदेश की सरकार द्वारा संपूष्ठी हेतु मूल अभिलेख आयुक्त, दक्षिणी छोटानगपुर प्रमण्डल रॉची को भेजें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  उपायुक्त, खूँटी। </div> <div style="text-align: center;">  उपायुक्त, खूँटी। </div> </div>	